

5 ऐसी बातें जो निम्न विषय के बारे में आपको पता होनी चाहिए

आवास में विकलांगता भेदभाव

- 1 विकलांगता होने से आप प्रॉपर्टी का मालिक बनने या उसे किराये पर लेने से वंचित नहीं रह सकते। भेदभाव के खिलाफ न्यू जर्सी कानून (LAD) आवास प्रदाताओं को संपत्ति बेचने, किराए पर देने या खरीदने की कोशिश करते समय विकलांगता के आधार पर वर्तमान और संभावित किरायेदारों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न करने से रोकता है। आवास प्रदाताओं में मकान मालिक, कॉन्डोमिनियम बोर्ड और मकानमालिक संघ शामिल हैं।
- 2 आपकी विकलांगता के कारण आपको आवास से वंचित नहीं किया जा सकता। आपकी विकलांगता के कारण आवास प्रदाताओं द्वारा आपको संपत्ति किराए पर लेने या खरीदने से रोकना गैरकानूनी है। उदाहरण के लिए, कोई मकान मालिक आपके सर्विस डॉग के उपयोग करने की वजह से आपके किराये के आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता।
- 3 आपकी विकलांगता के कारण आवास प्राप्त करने के लिए आपको विभिन्न या अतिरिक्त शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए, आवास प्रदाता आपसे अतिरिक्त किराया नहीं ले सकते, उचित आवास के लिए शुल्क नहीं ले सकते, अतिरिक्त बीमा की माँग नहीं कर सकते, या आपकी विकलांगता के कारण आपकी लीज़ अवधि को कम नहीं कर सकते। मकान मालिक आपके लीज़ की शर्त के रूप में आपकी विकलांगता के बारे में जानकारी नहीं मांग सकते।
- 4 आपकी विकलांगता के कारण आपको बेदखल नहीं किया जा सकता। कोई मकान मालिक आपको बेदखल करने के लिए आपकी विकलांगता या परिवार के किसी सदस्य की विकलांगता का उपयोग नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, कोई मकान मालिक आपके बच्चे की विकलांगता के कारण आपको बेदखल नहीं कर सकता है या आपको एक सर्विस डॉग की आवश्यकता होने के कारण आपकी लीज़ को नवीनीकृत करने से इनकार नहीं कर सकता है।
- 5 आवास प्रदाताओं को आपकी विकलांगता के लिए उचित आवास की व्यवस्था करनी चाहिए, जब तक कि ऐसा करना आवास प्रदाता के लिए अनावश्यक रूप से बोझिल न हो। आवास में विकलांगता जांच प्राप्त होने पर मासिक किराया तिथि को बदलना या आपकी विकलांगता को समायोजित करने के लिए आवश्यक इकाई में बदलाव की अनुमति देना शामिल हो सकता है। यदि आवास प्रदाता इनकार करता है, तो उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि आवास एक अनुचित बोझ होगा।

अधिक जानने या शिकायत दर्ज करने के लिए, NJCivilRights.gov पर जाएं या 1.833.NJDCR4U पर कॉल करें। नागरिक अधिकार प्रभाग (DCR) LAD को लागू करता है, जो आप्रवासन स्थिति की परवाह किए बिना NJ में सभी लोगों को भेदभाव से बचाता है। अधिक जानने के लिए, [यहाँ क्लिक करें](#)।

LAD आपको प्रतिशोध से बचाता है। संभावित LAD उल्लंघनों की रिपोर्ट करने पर कोई भी आपके विरुद्ध प्रतिशोध नहीं ले सकता; आंतरिक रूप से, DCR में, या अदालत में भेदभाव की शिकायत दर्ज करना; या LAD के तहत किसी अन्य अधिकार का प्रयोग करना।

DCR की वेबसाइट [केससाधन अनुभाग](#) पर अन्य भाषाओं में उपलब्ध है।

अधिक जानने या शिकायत दर्ज करने के लिए, NJCivilRights.gov पर जाएं या 1.833.NJDCR4U पर कॉल करें।



अटॉर्नी जनरल का न्यू जर्सी (NJ) कार्यालय

NJCivilRights.gov



DIVISION ON
NJ CIVIL RIGHTS
@CivilRightsNJ #CivilRightsNJ #StandUpAgainstHate

